


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-::कार्यालय आदेश::-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानानुसार शर्त पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के सामने कॉलम सख्या 7 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है:-

| No | Name | DOB | Designation | School Name | राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृति चाहने की दिनांक) |
|----|---|------------|------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BHAWANI SHANKER SONI (RJCR198612004188) | 01-12-1963 | Principal & Equivalent | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHALERI (211551) CHURU | 02-07-1990 | 01-04-2021 |

★ प्रारूप-6 में संतोषप्रद सेवा प्रमाण पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृति के उपरान्त पृथक से जारी किया जावेगा।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कंमाक: शिविरा/मा/संस्था/ए-2/VRS(II)/स्वैच्छिक सेवानिवृति/2021/89 दिनांक 18.02.2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

- 1 सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग।
- 2 सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
- 3 सम्बन्धित, जिलाशिक्षा अधिकारी (मुख्यमिक) मुख्यालय।
- 4 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 6 संस्थापन बी-2, कार्यालय-हाजा।
- 7 सम्बन्धित, कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 8 निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर